

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-63/1347/पांच-8-2014-म(04)/2015

लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-41/926/पांच-8-2015-म(04)/2015, दिनांक 04-03-2015 द्वारा प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- गड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर कुल 317 चिकित्साधिकारियों के नियुक्ति/तैनाती के आदेश निर्गत किए गए हैं। उक्त आदेश में डा0 निगहत परवीन, चिकित्साधिकारी (चयन क्रमांक-124 तथा अनुक्रमांक-51520305832) की तैनाती विचाराधीन रखी गयी। सम्यक विचारोपरान्त डा0 निगहत परवीन, चिकित्साधिकारी को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-03-2015 के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड के अधीन एलदद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 निगहत परवीन, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर दिनांक 11-05-2015 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

अरविन्द नारायण मिश्र  
सचिव।

संख्या-63/1347(1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को डा0 निगहत परवीन, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 निगहत परवीन, चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा

क्रमशः

चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने पर स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड को इस निर्देश के साथ कि निगहत परवीन, चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक कार्यालय जाप दिनांक 04/03-2015 के प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान अर्थात् शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- कोषाधिकारी, हापुड।
- ✓10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेवा।

आज्ञा से,



( विनोद कुमार सिंह )

उप सचिव।

<http://shasana.nepes.in>

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-549/पांच-8-2015-म(28)/2014

लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2015

**कार्यालय-ज्ञाप**

डा0 अमृता श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को कार्यालय ज्ञाप संख्या-41/926/पांच-8-2014-म(04)/2015, दिनांक 04-03-2015 के क्रम संख्या-94 (चयन क्रमांक-110) द्वारा ई0एम0ओ0 शेखुल हिन्द मौलाना महमूद मेडिकल कालेज, सहारनपुर में तैनात करते हुए दिनांक 09-04-2015 तक योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा डा0 अमृता श्रीवास्तव को सेवा में योगदान करने हेतु एक माह का समय विस्तार किये जाने का अनुरोध किया गया है। विचारोपरान्त उक्त तैनाती आदेश दिनांक 04-03-2014 के क्रम में डा0 अमृता श्रीवास्तव को सेवा में योगदान करने हेतु एक माह का समय विस्तारित किया जाता है।

पी0एन0 सिंह

विशेष सचिव।

**संख्या-549(1)/पांच-8-2015-तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल।
- 5- प्रधानाचार्य, शेखुल हिन्द मौलाना महमूद मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर।
- 7- कोषाधिकारी, सहारनपुर।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- ✓9- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

( विनोद कुमार सिंह )

उप सचिव।